(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 40 /2015–20
नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी, 2016

विषयः– दालों की निर्यात नीति में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0) विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 54 और दिनांक 20.01.2016 की अधिसूचना सं0 31/2015–20 के पैरा 2 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।

2. दिनांक 20.01.2016 की अधिसूचना सं0 31/2015–20 के संशोधित पैरा 2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"समय–समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 54 के साथ पठित दिनांक 31.3.2014 की अधिसूचना सं0 78 (आरई–2013)/2009–14 के द्वारा यथा अधिसूचित दालों के निर्यात पर अगले आदेशों तक लगाया गया प्रतिबंध, 1(एक) कि.ग्रा. तक के उपभोक्ता पैक में भुने हुए चनों (साबुत/टूटे हुए) के निर्यात पर लागू नहीं होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपभोक्ता पैक में 1 (एक) किग्रा. तक के भुने हुए चनों (साबुत/टूटे हुए) के निर्यात को अनुमत किया गया है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/162/52/एएम 16/निर्यात सैल से जारी)